न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 13/2024

प्रार्थी:-

हनुमानराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी:-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी - सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :-** 11/11/24

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 74 रकबा 2.7911 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार 698 है, जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 79/1 रकबा 5.6792 हैक्टेयर गै.मु. मगरा आयी हुयी है जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार 1 है, जो ग्राम कालाऊना की सरहद में स्थित है जो अप्रार्थी/राज्य सरकार की खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 79/1 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 195/1 रकबा 46.2505 हैक्टेयर गै.मु. मगरा आयी हुयी है जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार 1 है, जो ग्राम कालाऊना की सरहद में स्थित है जो अप्रार्थी/राज्य सरकार की खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 195/1 के पूर्व दिशा की ओर गै.मु. सड़क स्थित है जिसके खसरा संख्या 197 रकबा 0.8252 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क है। उक्त गै.मु. सड़क से प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में काश्त कार्य हेतु आने-जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त गैर मुमकीन सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थी/राज्य सरकार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 195/1 में स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में स्थित रास्ता मार्क ई.एफ. जी.एच. का उपयोग करता है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है तथा उक्त मार्कसुदा रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही है तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 74 से खसरा संख्या 197 गैर मुमकीन सड़क तक पहुचने हेतु सबसे न्यूनतम दुरी का रास्ता है। भूमि खसरा संख्या 195/1 में स्थित रास्ता मार्क ए. बी.सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में स्थित रास्ता मार्क ई.एफ. जी.एच. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 74 में पहुंचता है। उक्त मार्कसुदा रास्ता राजस्व रेकर्ड में आम रास्ता के रूप में दर्ज नही है, जिसकी वजह से ग्राम कालाऊना के अतिक्रमियों

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

द्वारा बार–बार उक्त मार्कसुदा रास्ते को मौके पर अतिक्रमण कर बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में आने–जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थी का खसरा संख्या 195/1 में स्थित रास्ता मार्क ए.बी. सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में स्थित रास्ता मार्क ई.एफ.जी. एच. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी/राज्य सरकार के विरूद्ध खसरा संख्या 195/1 में स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में स्थित रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढ़ा जावे। प्रार्थी अप्राथी/राज्य सरकार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 195/1 व 79/1 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. ई. एफ.जी.एच. 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. ई.एफ. जी.एच खसरा संख्या 195/1 व 79/1 का भाग है, जो राजस्व ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु अप्रार्थी/राज्य सरकार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 195/1 में स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में स्थित रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेते है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 195/1 में से घोषित राजकीय रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में से घोषित राजकीय रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 74 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 195/1 में से घोषित राजकीय रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. व खसरा संख्या 79/1 में से घोषित राजकीय रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के खसरा सं. 74 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपने खेत खसरा सं. 74 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि खसरा सं. 79/1 व 195/1 में से होकर जाता है, जो खसरा सं. 197 किस्म गै.मु. रास्ता से लगता है। खसरा सं. 197 किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं है। उक्त भूमि राजकीय भूमि किस्म गै.मु.मगरा राजस्व रेकर्ड दर्ज है तथा ग्रामीण डामर रोड से 02 किमी की दूरी पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में प्रभावित भूमि एवं उसकी डी. एल.सी. दर का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। जो मूल ही संलग्न है। वांछित रास्ते की खसरा सं. 79/1 मार्क ए.बी. सी.डी की लम्बाई 200 मी व चौडाई 9.146 मी यानी 1829 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 195/1 मार्क ई.एफ.जी.एच. की लम्बाई 420 मी व चौडाई 9.146 मी यानी 3842 वर्गमीटर है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में ग्राम कालाउना के राजकीय भूमि खसरा सं. 79/1 व 195/1 किस्म गै.मु.मगरा दोनों खसरों में से 0.5671 हैक्टयर भूमि रास्ते हेतु जायेगी जिसकी वर्तमान डीएलसी दर से दो गुणा राशि निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	डी.एल. सी.दर	डी.एल.सी. की दो गुणा राशि
1	राजस्थान सरकार	79/1	0.1829 हैक्टयर	163851	185840
		195/1	0.3842 हैक्टयर		

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 04.10.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी सरकारी पैरोकार को अदा करने को तैयार है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फार्म नं. 3 के साथ राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः– प. 3(52)राज–6/12/4 दिनाक 14.06.2013 की प्रति पेश की जो इस प्रकार है कि **यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिये आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड(ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिये प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सावर्जनिक होगा।** प्रार्थी पक्षकार के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 2.7911 हैक्टेयर में प्रार्थी को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 79/1 रकबा 5.6792 गै.मु.मगरा के मार्क ए. बी.सी.डी. भाग व खसरा नंबर 195/1 रकबा 46.2505 गै.मु.मगरा के मार्क ई. एफ.जी.एच. से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 74 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 74 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 04.10.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 04.10.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा